

- गाण पत्र मूल वाद के सेलम पत्र में  
 लिया गया। चूँकि मूल वाद विडा में खारिज  
 किया जा चुका है अतः गाण पत्र धारा  
 212 धारा खारिज किया जाता है गाण पत्र  
 फैसल शुमार न ले के कर होकर मूल  
 वाद के सेलम दायिल दफ्तार है

1/5